न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज रुकमा बनाम नारायण मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 07.06.24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो। रीडर दिनांकः 21.06.2024 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 05.06.2024 की प्रति के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर, नांगल राजावतान के निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरुद्व की गई निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज कर दी गई है। अतः उनवानी प्रकरण रुकमा बनाम नारायण को खारिज फरमाया जावे। हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण सं. 33/2011 उनवान पूरन बनाम नारायण निर्णय दिनांक 03.11.2011 को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई के निर्देश दिये जाकर इस न्यायालय में भिजवाया गया। इसी बावत् न्यायालय उप जिला कलेक्टर, नागल राजावतान के निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरुद्व निगरानी पेश हुई। परिणावत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज कर दी गई है एवं उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 यथावत रखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में जैरकार प्रकरण सं. 68/2022 उनवान रुकमा बनामं नारायण में आगे कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नंहीं होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.
	उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

CamScanner